संख्या: 10/2023/आई/401987/2023/ 2006

प्रेषक,

जे0 एल0 यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2023**

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में नई मांग के माध्यम से अर्थ एवं संख्या प्रभाग के लिए दो नई कार क्रय किये जाने की अनुमति एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 679/ले0-28/2022(टी0सी0), दिनांक 29.08.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40, लेखाशीर्षक 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-112-सांख्यिकीय-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद के अन्तर्गत प्राविधानित कुल धनराशि रू0 42.38 लाख में नई मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 16.88 लाख में से अर्थ एवं संख्या प्रभाग के 02 अपर निदेशकों हेतु MARUTI CIAZ SMART HYBRID SIGMA 1.5L 5MT, BS-VI मॉडल के 02 वाहन प्रति वाहन मूल्य रू0 8,26,279.30 कुल रूपये (2X8,26,279.30= 16,52,558.60) अर्थात पूर्णांकित रूपये 16,52,560/- (रू0 सोलह लाख बावन हजार पांच सौ साठ मात्र) की धनराशि वाहन क्रय की अनुमति सहित निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उक्त वाहनों का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) चूँकि भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुये गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने का उल्लेख है। अतः अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उक्त वाहनों का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरें अथवा नवीनतम डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें जो भी न्यूनतम हो और लागू हो पर किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 16,52,560/- (रू0 सोलह लाख बावन हजार पांच सौ साठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-040 के लेखाशीर्षक 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-112-सांख्यिकीय-03-अर्थ एवं संख्या निदेशालय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या: ई0-05-106-X-2023-2024, दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जे0 एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 10/2023/आई/401987/2023/ 2006 (1)/35-2002(001)/1/2022-2-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।